"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2002—ज्येष्ठ 17, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मई 2002

क्रमांक एफ 10-6/2002/1/5.—राज्य शासन इस विभाग के आदेश क्रमांक 390/2001/1/5/374, दिनांक 21 सितम्बर, 2001 द्वारा गठित आर्थिक सलाहकार परिषद् में डॉ. अरविन्द पंगारिया, मुख्य आर्थिक सलाहकार, एशियन विकास बैंक, मनीला को मानसेवी सलाहकार के रूप में सदस्य मनोनीत करता है. श्री पंगारिया को परिषद् के कार्य से केवल भारत में रेल/वायुयान से की गई यात्रा के लिये ही मार्ग व्यय का भुगतान किया जा सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्र, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 मई 2002

क्रमांक 1394/1106/साप्रवि/2002/1/2.—श्री एम. के. राउत, सचिव, छ. ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

को दिनांक 28-5-2002 से 7-6-2002 (11 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 8, 9 जून 2002 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राउत को आगामी आदेश तक सचिव के पद पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री राउत को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राउत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री रमेश सिन्हा, सचिव, राजस्व विभाग अपने कर्त्तव्यों के साथ-साथ श्री राउत के अवकाश अवधि का कार्यभार भी देखेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.